न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–31/2020 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मनोहर लाल पिता भूरा जी आचार्य उम्र वयस्क निवासी बजरंगपुरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम – प्रार्थी

1. भगवती लाल पिता भूरा जी चपलोत उम्र बालिग निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा
2. अशोक पिता शांतिलाल हिंगड़ उम्र बालिग निवासी कांचीपुरम भीलवाड़ा
3. गणेशलाल पिता आचार्य उम्र बालिग निवासी महादेव जी के पास बजरंगपुरा पुर भीलवाड़ा
4. राधेश्याम पिता रामेश्वर जी आचार्य उम्र बालिग निवासी महादेव जी के पास बजरंगपुरा पुर भीलवाड़ा
5. मणिशंकर पिता रामेश्वरलाल जी आचार्य उम्र बालिग निवासी महादेव के पास बजरंगपुरा पुर भीलवाड़ा
6. औंकार लाल पिता रामेश्रलाल जी आचार्य उम्र बालिग निवासी महादेव जी के पास, बजरंगपुरा पुर भीलवाड़ा
7. रसीदा खातुन पत्नी अजहरूदीन सिदकी उम्र बालिग निवासी गांधी नगर भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री शंभू दास वैष्णव

निर्णय दिनांक 19/8/25

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल आगाल द्वारा दिनांक 09.12.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 31/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की वादग्रस्त में निम्न आराजियात के सम्बन्ध में वाद माननीय न्यायालय में पेश है :–

आराजी नम्बर	रकबा
8508	1 बीघा 07 बिस्वा
8505	13 बिस्वा
8507	14 बिस्वा
5857	16 बिस्वा
8504	13 बिस्वा
8513	1 बीघा 11 बिस्वा
कुल किता 06	कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा

19/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी नं. 8505, 8507, 5857, 8504, 8513 आराजियात वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 7 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी व विपक्षी नं. 3 व 4 का 1/4 हिस्सा है व बरदी, प्यारचंद भी प्रार्थी व विपक्षी नं. 3 के साथ खातेदार थी परन्तु बरदी व प्यारचंद की मृत्यु हो चुकी है इस कारण प्रार्थी व विपक्षी नं. 3 बरदी व प्यारचंद के जायज व कानूनी वारिस है इस कारण प्रार्थी व विपक्षी नं. 3 खातेदार होकर काबिज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी नं. 1 का 1/6 हिस्सा व विपक्षी नं. 2 का 1/12 हिस्सा दर्ज है व विपक्षी नं. 4, 5 व 6 का 1/4 हिस्सा व विपक्षी नं. 7 का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

आराजी नं. 8508 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हाल में विपक्षी नं. 1 व 2 के नाम पर 1/3 व 1/6 हिस्सा क्रमशः दर्ज है व विपक्षी नं. 4. 5 व 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

वादग्रस्त आराजियात में विपक्षी नं. 1 व 2 के नाम पर जो आराजियात दर्ज है वे श्री किशन पिता घीसा जी के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज थी आराजियात श्री किशन जी की स्वयं अर्जित थी व उन्होने अपने जीवनकाल मे प्रार्थी को जो किशन जी का भतीजा था दिनांक 15.05.1979 को वसीयत कर दी थी। श्री किशन पिता घीसा जी की मृत्यु हो गई इस कारण प्रार्थी इन आराजियात का मालिक व खातेदार हो गया था व आज तक काबिज श्री किशन जी की मृत्यु के बाद चला आ रहा है। श्री किशन जी की मृत्यु को करीब 32 वर्ष हो चुके है।

श्री किशन जी के पुत्र रंगलाल जी थे। रंगलाल जी ने उपरोक्त आराजियात राधेश्याम पिता प्यारचंद जी के रहन रखी थी। रहन की राशि 1900 रूपये थी, जो भी प्रार्थी व उसके पिता ने अदा की थी व कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रार्थी लगातार सेटल्ड पजेशन में है व काश्त कर रहा है। प्रार्थी के पिता की भी मृत्यु हो गई है।

विपक्षी नं. 1 व 2 का कोई हक व अधिकार वादग्रस्त आराजियात पर नही है परन्तु रंगलाल के वारिसो से अवैध तौर बिकाव लिखा लिया जो प्रार्थी पर बाध्यकारी नहीं है व आराजी नं. 8508 रंगलाल के नाम पर कभी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हुई फिर भी रंगलाल के वारिसों के नाम पर दर्ज की गई जो कानूनी तौर अवैध व शुन्य है क्योंकि श्री किशन जी वादग्रस्त आराजियात में उनका हिस्सा वसीयत कर दिया था इस कारण रंगलाल के वारिसों को कोई अधिकार नहीं रहा न कभी कब्जा ही उनका रहा।

वादग्रस्त आराजियात में विपक्षी नं. 1 व 2 का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है इनके हक में रंगलाल जी के वारिसों द्वारा किया गया विक्रय पत्र वादी पर बाध्यकारी नही है व प्रार्थी के मुकाबले रद्द व बेअसर है व विपक्षी नं. 1 व 2 के स्थान पर प्रार्थी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है यह घोषणा भी कराया जाना आवश्यक है।

विपक्षी नं. 8, 9, 10 व 11 ने विपक्षी नं. 1 व 2 को वादग्रस्त आराजियात अवैध तौर विक्रय की जिससे विपक्षी नं. 1 व 2 को कोई अधिकार नही मिलता है परन्तु आवश्यक पक्षकार का उजर रफा करने के लिये पक्षकार बनाया है।

विपक्षी नं. 1 व 2 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात दर्ज होने के कारण इस को विक्रय की धमकी दे रहे है व प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश कर रहे है इस कारण विपक्षी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में कोई दखल उत्पन्न न करे इन आराजियात के किसी भी भाग को विक्रय न करे न इस पर कोई भार ही सृजित करे न इन आराजियात के किसी भाग का कब्जा ही किसी अन्य को सौंपे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी नं. 1 व 2 को पाबन्द फरमाया जावें व विपक्षी नं. 2 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करें।

प्रार्थी का प्राईमाफैशी केस है मामला अचल सम्पति से सम्बन्धित है व प्रार्थी श्री किशन जी की मृत्यु के बाद सेटल पजेशन में है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजियात को विक्रय कर देंगे या इस पर कोई भार सृजित कर देंगे या किसी भी भाग पर अन्य को कब्जा करा देंगे या प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न करेंगे तो प्रार्थी अपने जायज हको से वंचित हो जायेगा व प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जो किसी प्रकार पूरी नहीं की जा सकेगी। मुकदमे के निस्तारण में समय लगेगा इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

7/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ताफैसला वादग्रस्त आराजियात वाद विपक्षी नं. 1 व 2 को पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी का किसी को विक्रय न करे न इस पर कोई भार ही सृजित करे न किसी भी भाग पर अन्य किसी को कब्जा ही करावे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखल उत्पन्न न करे व करावें। इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी नं. 1 व 2 को पाबन्द फरमाया जावें व विपक्षी नं. 8 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करे इस अमर का आदेश बक्षावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 के नोटिस दिनांक 11.01.2021 को बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस दिनांक 27.01.2021 को बाद तामिल प्राप्त हुए।

विपक्षी संख्या 02 व 03 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 18.02.2021 को एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 7 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 10.03.2021 को एक तरफा कार्यवाही की गई।

विपक्षी संख्या 01, 04, 05 व 06 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 15.03.2024 को जवाब बंद किया गया।

विपक्षी संख्या 04, 05 व 06 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब दावा प्रस्तुत करने के अवसर को खुलवाए जाने बाबत् दिनांक 28.01.2025 को पेश किया। वादी /अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया, जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर दिनांक 15.04.2025 को 2000/– रूपये की शास्ति पर अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 की ओर से जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया और न ही शास्ति राशि का भुगतान किया। अतः विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी स्वीकार करने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 का जवाब दिनांक 22.07.2025 को बंद किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण कां गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि श्रीकिशन पिता घीसा के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में जरिये वसियत दिनांक 15.04.1979 से अन्तरण कर दिया था। वादग्रस्त भूमि में किशन पिता घीसा का हक हिस्सा उसके पुत्र रंगलाल के नाम दर्ज होने के उपरान्त जरिये विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी के पक्ष में वसियत से भूमि अंतरण होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि किस प्रकार दर्ज हुई, इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी वसियतकर्ता श्रीकिशन की मृत्यु के उपरान्त से वादग्रस्त भूमि पर सेटल पेजेशन में है, जिससे सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

17/8/25

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की सम्वत् 2069–72 की जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार काश्तकार है। प्रत्येक सहखातेदार का खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा विधिक रूप से स्वीकार्य है। अतः प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में सेट्टल पेजेशन होने का तथ्य साबित करने में असफल रहा है, जिससे सुविधा का संतुलन का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य पक्षकार को अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नही हो पाएगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि नामान्तरण संख्या 4326 निर्णय दिनांक 31.10.2005 से वसियतकर्ता किशन पिता घीसा के विधिक वारिसों के नाम दर्ज हुई जिसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम किस आदेश से दर्ज हुई, इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि कब से दर्ज है, से संबंधित रिकॉर्ड पेश नहीं किये जाने एवं अप्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज होने से अप्रार्थीगण के सहखातेदार काश्तकार होने से उनके वादग्रस्त भूमि के अंतरण किये जाने पर रोक लगाई जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहा है। अतएव

–:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध विपक्षीगण अस्वीकार किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
7/8/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा